



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, सहायक अभिंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना उपखण्ड क्रमांक-4, जगदलपुर द्वारा दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाड़ा वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित नेरली जल प्रदाय योजना के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु वन परिक्षेत्र बचेली अन्तर्गत वन भूमि रकबा 0.725 हे० हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 29/05/2019

स्थान: अटल नगर, रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, रायपुर